गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग

पृष्ठभूमि: मंत्रालय में वित्त विंग वर्ष 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वित्त सलाहकारों के संशोधित चार्टर के अनुसार कार्य करता है। कुछ निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आंतरिक वित्तीय सलाह प्रणाली गृह मंत्रालय के आईएफडी द्वारा संचालित की जाती है। इस प्रभाग के प्रमुख कार्यों में वित्तीय सलाह, बजट, लेखा और मंत्रालय में आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य शामिल है। संगठनात्मक ढांचा: वर्तमान में वित्त प्रभाग के प्रमुख गृह मंत्रालय में विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार हैं। बजट, लेखा और आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उनकी सहायता के लिए प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक और कार्मिक संबंधी वित्तीय मामलों में उनकी सहायता करने के लिए निदेशक (वित्त/पर्स) हैं। इसके अतिरिक्त उप सचिव/निदेशक (वित्त/गृह) वित्तीय सलाह के कार्य के निर्वहन तथा गृह मंत्रालय में विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन में वित्त सलाहकार की सहायता करते हैं। गृह मंत्रालय के विभिन्न संबद्ध संगठनों में वित्त संबंधी कार्य इन संगठनों में नामित आंतरिक वित्त सलाहकारों द्वारा किया जा रहा है। ये आंतरिक वित्त सलाहकार अपने-अपने संगठनों में वित्त सलाहकार (गृह) की ओर से उस सीमा तक वित्त संबंधी कार्य का निर्वहन करते हैं जिस सीमा तक संबद्ध संगठनों में कार्यकारी प्राधिकारियों को शक्ति सौंपी गई है। आंतरिक वित्त सलाहकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गृह मंत्रालय के वित्त विंग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अपने-अपने संगठनों में पालन करें। गृह मंत्रालय का वित्त विंग वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों और निर्देशों को भी लागू करता है।

संगठनात्मक चार्ट:

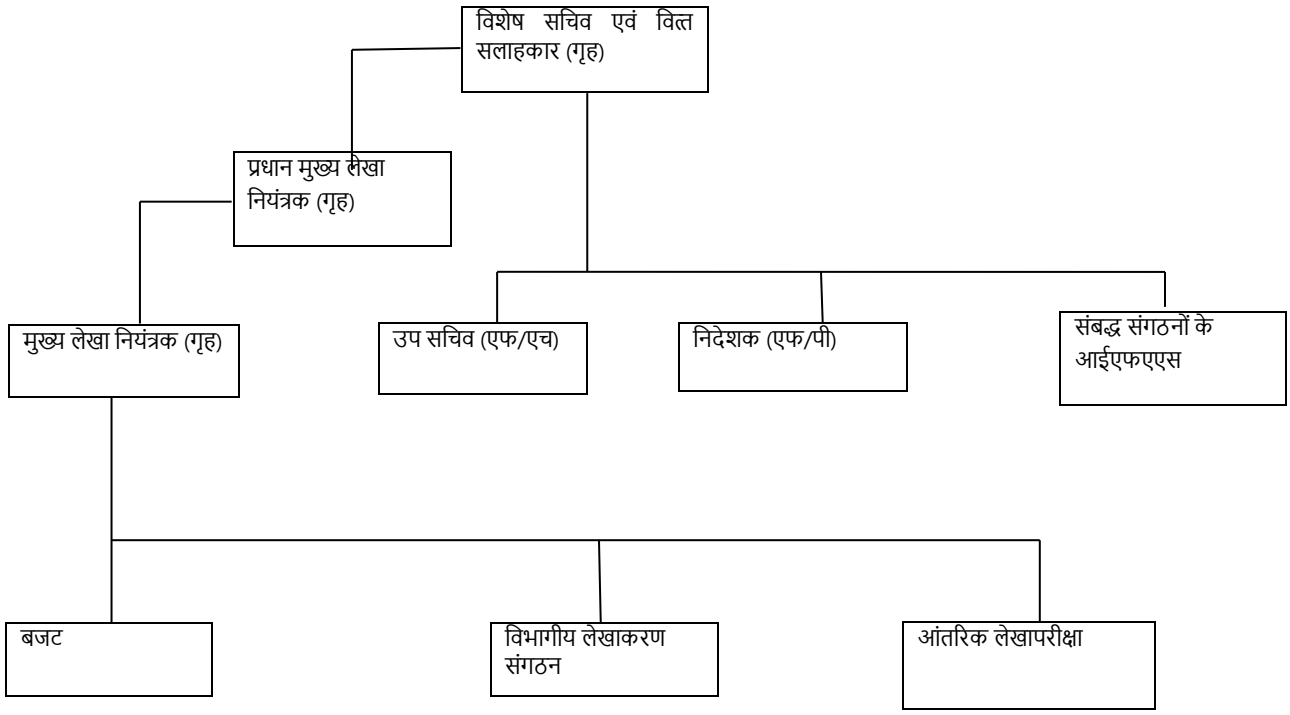

गृह मंत्रालय के वित्त विंग के कार्य:

गृह मंत्रालय के वित्त विंग के कार्यों में मुख्यत: निम्नलिखित शामिल हैं:

1. स्कीमों और कार्यक्रमों के सुगम संचालन और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आने वाले सभी मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय को वित्तीय सलाह देना।
2. परियोजनाओं और कार्यक्रमों का वित्तीय आकलन और मूल्यांकन।
3. यह विंग वित्त मंत्रालय के निर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है तथा यह गृह मंत्रालय में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट्स की प्रोसेसिंग की मॉनीटरिंग और उनके निपटान के लिए तुरंत उपाय करना।
5. वित्त सलाहकार को प्रत्येक कार्यक्रम के व्यय की स्थिति के आधार पर इष्टतम परस्पर कार्यक्रम प्राथमिकता एवं आबंटन में गृह मंत्रालय की सहायता करनी होती है।
6. वित्त विंग बजट प्रक्रिया के निष्पादन की भी गहन मॉनीटरिंग करता है और अनुपूरक आवश्यकता, पुनर्विनियोजनाओं आदि के मामलों की प्रोसेसिंग में विभिन्न प्रशासनिक प्रभागों और वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।
7. वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बजट प्रभाग द्वारा बजट तैयार किया जाता है।
8. आउटपुट आउटकम लक्ष्य को मॉनीटर करने के लिए मंत्रालय की स्कीमों के संबंध में आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करता है।
9. वित्त सलाहकार के अधीन कार्यरत लेखा विंग मंत्रालय के विनियोजन और वित्तीय लेखे तैयार करने और उन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
10. विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रम एवं व्ययकर्ता यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा गृह मंत्रालय के वित्त विंग के अधीन कार्यरत ऑडिट पार्टीज द्वारा की जाती है।
11. मासिक व्यय रिपोर्ट कार्यकारी प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जा रही है और गृह मंत्रालय के कार्यकारी प्राधिकारियों के साथ व्यय की नियमित समीक्षा की जा रही है।
12. गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में नई पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग वित्त विंग द्वारा की जा रही है।
13. मंत्रालय में भुगतान और लेखा कार्यों का पर्यवेक्षण वित्त सलाहकार द्वारा किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे समय पर प्रोसेस किए जा रहे हैं और संगठन में उपयुक्त सेवा स्तर मेनटेन किए जा रहे हैं।

14. बैंकिंग प्रबंधों की भी नियमित समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यायित बैंक द्वारा उपयुक्त सेवा प्रदान की जा रही है।

15. वित्त विंग गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक कड़ी का काम करता है।

16. प्रत्यायोजन, वैयक्तिक दावों की प्रोसेसिंग, वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पेंशन और भत्तों में संशोधन से संबंधित कार्य भी गृह मंत्रालय के वित्त विंग द्वारा किए जा रहे हैं।

बजट एक नजर में:

गृह मंत्रालय का बजट प्रभाग विभिन्न संगठनों से संबंधित संघ सरकार की दस अनुदानों को संचालित करता है। इनमें से दो अनुदान मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित की जाती हैं तथा ये मंत्रालय के सचिवालय, जनगणना कार्यों के लिए भारत के महारजिस्ट्रार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मंत्रालय के अधीन पुलिस संगठनों, सीमा प्रबंधन, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, जम्मू एवं कश्मीर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय, नक्सल प्रबंधन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन, आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों आदि पर होने वाले व्यय से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त, पांच अनुदानें विधानमंडल रहित पांच संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए हैं और दो अनुदान विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल से संबंधित आबंटन के लिए एक पृथक अनुदान है।